डीजीई एवं टी-19(13)/2010-सीडी
भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय

सेवार्थ, दिनांक: 30 सितंबर, 2010

1. समस्त राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों के सचिव/प्रधान सचिव जो व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था देख रहे हैं।
2. समस्त राज्यों/संघ क्षेत्र प्रशासनों के निदेशक जो व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था देख रहे हैं।
3. निदेशक, एटीआई हैदराबाद, एटीआई मुंबई, एटीआई कोलकाता, एटीआई कानपुर, एटीआई लुधियाना, प्रिंसिपल सीटीआई, चेन्नई

विषय: मद सं. 3804.6: प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 का कार्यान्वियन कर रहे प्रतिष्ठानों के बुनियादी केंद्रों के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु डीजीई एवं टी की प्रशिक्षक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तारण।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ कि माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, की अध्यक्षता में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की 38वीं बैठक 31 मई, 2010 को आयोजित हुई थी। बैठक में कार्यसूची की मद सं. 3804.6 "प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 का कार्यान्वियन कर रहे प्रतिष्ठानों के बुनियादी प्रशिक्षण केंद्रों के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु डीजीई एवं टी की प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तारण" पर विचार-विमर्श किया गया।

परिषद् ने प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 का कार्यान्विन कर रहे प्रतिष्ठानों के बीटीसी'ज के अनुदेशकों को डीजीई एवं टी क्षेत्र संस्थानों में प्रस्तावित "प्रशिक्षण क्रियाविधि" मॉड्यूल सहित विभिन्न मॉड्यूल्स में अनुदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु सुविधा का लाभ प्राप्त करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया है। परिषद् द्वारा यह अनुमोदन भी किया गया ऐसे अनुदेशक को प्रवेश प्रयोजन हेतु राज्य सरकारों के प्रायोजित उम्मीदवारों के समतुल्य किया जाना चाहिए तथा उनसे शिक्षण शुल्य की वसूली नियमों के अनुसार की जानी चाहिए।
भारत सरकार ने परिषद् की उपरोक्त सिफारिशें तत्काल प्रभाव से कार्यान्विन हेतु स्वीकार कर ली हैं। आगे से, प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 का कार्यान्वयन कर रहे प्रतिष्ठानों के बीटीसी'ज के अनुदेशक डीजीई एवं टी के क्षेत्रीय संस्थानों में प्रस्तावित "प्रशिक्षण क्रियाविधि" सहित विभिन्न मॉड्यूल्स में अनुदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा अन्य संस्थानों के अनुदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रमों मे प्रवेश ले सकते है। ऐसे अनुदेशक को राज्य सरकारों के प्रायोजित उम्मीदवारों के समतुल्य व्यवहृत किया जाना चाहिए तथा उनसे उपयुक्त शिक्षण शुल्क नियमानुसार प्रभारित किया जाना चाहिए।

आपका हितैषी
हस्ता./-
(आर.एल.सिंह)

निदेशक, प्रशिक्षण
सदस्य सचिव एनसीवीटी.

प्रतिलिपि सेवार्थ:

1. निदेशक सीएसटीएआरआई, कोलकाता/एटीआई (ईपीआई) हैदराबाद, एवं देहरादून, एफटीआई बेंगलुरु एवं जमशेदपुर एवं एनआईएमआई चेन्नई
2. आरडीएटी कानपुर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, फरीदाबाद एवं हैदराबाद
3. प्रिंसिपल एमआईटीआई, हल्द्वानी, कालीकट, जोधपुर, चौद्वार, एनवीटीआई, नई दिल्ली और समस्त आरवीटीआई'ज
4. डीजीईएवं (मुख्यालय) के जेडीटी स्तर तक के समस्त अधिकारी

हस्ता./-
(अनिता श्रीवास्तव)
उपनिदेशक, प्रशिक्षण

सूचनार्थ प्रतिलिपि: श्रम एवं रोजगार मंत्री के पीएस, एमओएस (एल एवं ई) केपीएस, सचिव (एल एवं ई) के पीएस, डीजी/जेएस के पीएस

डीजीई एवं टी-19(6) /2010-सीडी
भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्टूबर, 2010

सेवार्थ,

1. समस्त राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों के सचिव/प्रधान सचिव जो व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था देख रहे हैं।
2. समस्त राज्यों/संघ क्षेत्र प्रशासनों के निदेशक जो व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था देख रहे हैं।
3. निदेशक, एटीआई/एटीआई (ईपीआई) हैदराबाद, एवं देहरादून, एफटीआई बेंगलुरु एवं जमशेदपुर एवं एनआईएमआई चेन्नई
4. आरडीएटी, कानपुर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, फरीदाबाद एवं हैदराबाद

विषय: मद सं. 3.803.2 आईटीआई'ज/आईटीसी'ज की अ-संबंधन प्रक्रिया में संशोधन

महोदय/महोदया,

आपको सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की 38वीं बैठक माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, की अध्यक्षता में 31 मई, 2010 को सम्पन्न हुई।

परिषद् द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण और केंद्रों के लिए प्रशिक्षण मैनुअल के परिशिष्ट- XX वर्णित अ-संबंधन हेतु विद्यमान प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधनों की अनुशंसा की गई।

1. जब कभी, सचिव एनसीवीटी द्वारा किसी आईटीआई/आईटीसी का मूल्यांकन आवश्यक ,समझा जाता है तो सचिव एनसीवीटी द्वारा संबंधित राज्य निदेशक को एक समिति गठित करने तथा मूल्यांकन हेतु निरीक्षण का निष्पादन 6 सप्ताह के भीतर करने हेतु अनुरोध किया जाएगा। यदि, राज्य निदेशक अनुबद्ध समय अवधि के भीतर ऐसी समिति का गठन करने और संस्थान का निरीक्षण सुसाध्य बनाने में विफल रहता है, तो ऐसी समिति का गठन सचिव एनसीवीटी द्वारा किया जाएगा जो आवश्यक मूल्यांकन करेगी।

2. मूल्यांकन हेतु स्थायी समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट निरीक्षण के 07 दिन के भीतर डी जी ई एवं टी/सचिव (एनसीवीटी) को सौंपी जानी चाहिए। समिति की सिफारिश, संबंधन पर विचार और निर्णय हेतु एनसीवीटी की उप-समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
3. ऐसे मामलों में जहां, मूल्यांकन हेतु स्थायी समिति संस्थान बंद होने अथवा किसी अन्य कारणवश संस्थान का निरीक्षण नहीं कर सकेगी तो मूल्यांकन समिति द्वारा तथ्य

एनसीवीटी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे तथा संबंधन का कार्य देख रही एनसीवीटी की उप-समिति द्वारा इस रिपोर्ट के आधार पर एनसीवीटी से संस्थान के संबंधन के अ-संबंधन/निलम्बन पर विचार किया जाएगा।

4. भारत सरकार ने परिषद् की उपरोक्त सिफारिशें तत्काल प्रभाव से कार्यान्वयन हेतु स्वीकार कर ली हैं। तदनुसार, एनसीवीटी से आईटीआई'ज/आईटीसी'ज के अ-संबंधन हेतु विद्यमान निर्देश संशोधित किए गए हैं तथा परिशिष्ट में दिए गए हैं। आगे से, एनसीवीटी से आईटीआई'ज/आईटीसी'ज के असंबंधन हेतु उपरोक्त दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

भवदीय
हस्ता.
(आर.एल.सिंह)
निदेशक, प्रशिक्षण
सदस्य सचिव, एनसीवीटी

प्रतिलिपि सेवार्थ:-

1. निदेशक, सीएसटीएआरआई, कोलकाता/एटीआई (ईपीआई), हैदराबाद एवं देहरादून, एफटीआई, बेंगलुरु एवं जमशेदपुर एवं एनआईएमआई, चेन्नई।
2. प्रिंसिपल एमआईटीआई, हल्द्वानी, कालीकट, जोधपुर, चौद्वार, एनवीटीआई नोएडा तथा समस्त आरवीटीआई'ज।
3. डीजीई एवं टी (मुख्यालय) के जेडीटी स्तर तक के समस्त अधिकारी।

हस्ता./-
(अनिता श्रीवास्तव)
उपनिदेशक, प्रशिक्षण

सूचनार्थ प्रतिलिपि:- मंत्री (एलएवंई) के पीएस, एमओएस (एलएवंई) के पीएस, सचिव (एलएवंई) के पीएस, डीजी/जेएस के पीएस।

संलग्नक

प्रशिक्षण मैनुअल का परिशिष्ट XX

एनसीवीटी के साथ पहले से सम्बद्ध आईटीआई'ज/आईटीसी'ज/व्यावसायों/यूनिटों के मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया (सरकारी तथा निजी) - असंबंधन प्रक्रिया

भारत सरकार की शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के अधीन, ऐसे व्यावसायों/यूनिटों, जो एनसीवी द्वारा निर्धारित सिद्धांतों/मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, उनको संबंधन की स्वीकृति के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित संबंधन प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता राष्ट्रीय स्तर पर बनाए रखने के उद्देश्य हेतु, यह सुनिश्चित करना वांछनीय है कि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा (एनसीवीटी संबंधन) धारक ऐसे संस्थान/व्यवसाय/यूनिट निर्धारित सिद्धांतों तथा मानकों का अनुपालन जारी रखें। यह नितांत संभव है कि प्रबंधन की उपेक्षा के कारण कोई संस्थान/व्यवसाय/यूनिट किसी समय पर निर्धारित सिद्धांतों/मानकों के अनुरक्षण में विफल रहती है। जैसा कि प्रशिक्षण मैनुअल में पहले ही वर्णित है, ऐसे मामले में संस्थान/व्यवसाय/यूनिट का मूल्यांकन वांछनीय है तथा यदि सुविधाएं अपर्याप्त पाई जाती हैं, तो पहले दिया गया संबंधन प्रत्याहरित कर लिया जाना चाहिए। इस संबंध में अब तक कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। अतएव एक आईटीआई (सरकारी/निजी) जो पहले ही एनसीवीटी के साथ संबंद्व हैं उसमें व्यावसायों/यूनिटों के मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है जिसका अनुसरण किया जाना चाहिए।

1. आईटीआई'ज/आईटीसी'ज के प्रबंधन को उनके संस्थानों के इस प्रकिया के परिशिष्ट-I के अनुसार, मूल्यांकन हेतु एक सूचना जारी की जानी चाहिए।
2. संबंधित निदेशालयों/संघ शासित प्रदेश- प्रशासनों तथा डीजीईटी, श्रम मंत्रालय के अधीन आरडीएटी'ज द्वारा आवधिक निरीक्षणों का संचालन प्रशिक्षण मैनुअल में दी गई रूपरेखा के अनुसार किया जाना चाहिए। यदि किसी संस्थान (सरकारी/निजी) में किसी व्यवसाय/यूनिट (एनसीवीटी से पूर्व सम्बद्व) के संबंध में अवसंरचनात्मक सुविधाएं निर्धारित सिद्धांतों/मानकों से नीचे और अपर्याप्त पाई जाती हैं, तो निरीक्षण अधिकारी/दल द्वारा इसकी रिपोर्ट, संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट अग्रेषित करते हुए तथा निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों/विसंगतियों का विशेष उल्लेख करते हुए, संबंधित राज्य निदेशक/संघ शासित प्रदेश प्रशासन को दी जानी चाहिए।
3. ऊपर पैरा 2 में वर्णितानुसार निरीक्षणों के आधार पर अथवा अन्य प्रकार से जब संबंधित राज्य निदेशक (शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम की व्यवस्था देख रहे) की जानकारी/संज्ञान में आता है कि कोई विशिष्ट आईटीआई/आईटीसी, किसी विशेष व्यवसाय/यूनिट में प्रशिक्षण का संचालन पाठ्यचर्या के अनुसार नहीं कर रही है तो वह कार्रवाई शुरु कर सकता है तथा निदेशक, प्रशिक्षण, डीजीईटी, श्रम मंत्रालय को सूचना के अधीन संस्थान के मूल्यांकन हेतु स्थायी समिति गठित कर सकता है।

   इसी प्रकार जब यह रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय की जानकारी/संज्ञान में आता है, निदेशक, प्रशिक्षण (सचिव एनसीवीटी) संबंधित राज्य

निदेशक को सूचित कर सकता है तथा उनसे मूल्यांकन हेतु स्थायी समिति गठित करने का अनुरोध कर सकता है तथा संस्थान/व्यवसाय/यूनिट का निरीक्षण करा सकता है।

4. संबंधित राज्य निदेशक /संघ शासित प्रदेश प्रशासक द्वारा मूल्यांकन हेतु स्थायी समिति का गठन उसी लीक पर किया जाएगा जिस पर संबंधन विचारण किया जाता है। उपरोक्त समिति का संघटन निम्नानुसार होगा:

1. एक सदस्य का नामांकन एनसीवीटी के सचिव/अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा - अध्यक्ष।
2. एक सदस्य का नामांकन शिल्पकार प्रशिक्षण के प्रभारी राज्य निदेशक द्वारा किया जाएगा- सदस्य।
3. **दो सदस्यों का नामांकन एससीवीटी द्वारा किया जाएगा (एक उद्योग जगत से तकनीकी विशेषज्ञ तथा दूसरा ट्रेड यूनियन का तकनीकी विशेषज्ञ प्रतिनिधि) - सदस्य।
4. राज्य निदेशक संबंधित व्यवसाय/व्यावसायों में एक/दो विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकता है।

(क) सरकारी विभागों से प्रतिनिधि वर्ग 'ख' राजपत्रित (तकनीकी) अधिकारी अथवा ऊपर का होना चाहिए; तथा

(ख) ट्रेड यूनियन से प्रतिनिधि उत्तरदायी पद धारक होने चाहिए तथा उद्योग से प्रतिनिधि उप/सहायक प्रबंधक पदस्तर के होने चाहिए जो उद्योग के मध्यम/बृहत स्तर पर निर्भर होगा।

नोट: कोई भी दो सदस्य एक ही विभाग से नहीं होने चाहिए।

नोट: कम से कम तीन सदस्य (सचिव एनसीवीटी का एक प्रतिनिधि, राज्य निदेशालय का एक प्रतिनिधि तथा एक कोई अन्य) गणपूर्ति की रचना करेंगे।

5. ऊपर पैरा (3) तथा (4) में वर्णितानुसार, मूल्यांकन हेतु स्थायी समिति का गठन संबंधित राज्य निदेशक द्वारा किया जाएगा तथा उसके द्वारा आईटीआई'ज/आईटीसी'ज के निरीक्षणों हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। स्थायी समिति द्वारा संस्थान के निरीक्षण हेतु आईटीआई/आईटीसी के प्रबंधन को इस प्रक्रिया के परिशिष्ट II के अनुसार सूचना जारी की जानी चाहिए। स्थायी समिति संस्थान का निरीक्षण करेगी तथा निर्धारित सिद्धांतों/मानकों के अनुसार विद्यमान संरचनात्मक सुविधाओं यथा; स्टाफ परिसर, कार्यशाला भवन, औजार, शॉप आउटफिट्स, उपस्कर इत्यादि और संबंधित व्यावसायों / यूनिट्स में प्रशिक्षण संचालन का सत्यापन करेगी।

6. समिति उनकी रिपोर्ट उसी दिन उसी प्रोफार्मा में तैयार करेगी जो संबंधन पर विचार हेतु निर्धारित किया गया है। संस्थान में देखी गई कमियां/विसंगतियां प्रोफार्मा के उपयुक्त कालमों में स्पष्ट वर्णित की जानी चाहिए। समिति अपनी विशिष्ट सिफारिशें निम्नलिखित लीक पर करेंगी:

(i) ....के व्यवसाय
(व्यावसायों के नाम यूनिट्स के साथ)

संबंधन जारी रखने हेतु संस्तुत हैं। संस्थान में पाई गई अल्प कमियों/विसंगतियों की सूचना संस्थान के प्रबंधन को, उन्हें निर्धारित अवधि के भीतर ठीक करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु दी जानी चाहिए।

(ii) .... के व्यवसाय
(व्यावसायों के नाम यूनिट्स के साथ)

अ-संबंधन अर्थात् उनको स्वीकृत किया गया संबंधन प्रत्याहरण हेतु संस्तुत है।

7. यदि समिति द्वारा कुछ व्यावसायों / यूनिट्स के संबंधन का अ-संबंधन अथवा प्रत्याहरण संस्तुत किया गया है तो राज्य निदेशक के प्रतिनिधि द्वारा रिपोर्ट की पांच प्रतियां प्राप्त की जानी चाहिए तथा एक प्रति सचिव, एनसीवीटी के प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए। बाद में निरीक्षण रिपोर्ट की 4 प्रतियां संबंधित राज्य निदेशक द्वारा डीजीईटी मुख्यालय को अग्रसारित की जानी चाहिए ।

8. श्रम एवं रोजगार महानिदेशालय में निरीक्षण रिपोर्ट की सूक्ष्म जांच की जानी चाहिए। सूक्ष्म जांच के उपरांत उस पर सचिव, एनसीवीटी की रिपोर्ट एनसीवीटी की उप-समिति के सदस्यों को अग्रसारित की जानी चाहिए।

9. उप-समिति के सदस्यों का सम्यक् अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अ-संबंधन आदेश संबंधित राज्य निदेशक को जारी किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति संबंधित संस्थान को भेजी जाएगी। इस आदेश के आधार पर, निजी संस्थान के मामले में, राज्य निदेशक द्वारा संस्थान के प्रबंधन को अ-संबंधन आदेश जारी किया जाना चाहिए। सरकारी संस्थान के मामले में, राज्य निदेशक द्वारा इसी प्रकार की उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

10. राज्य निदेशक द्वारा ऐसा आदेश जारी किए जाने की तिथि से, संबंधित व्यवसाय / यूनिट्स अ-संबंधित मान्य होंगी। तथापि, यदि प्रशिक्षुओं का विद्यमान समूह अन्य प्रकार से योग्य है, तो राज्य निदेशक द्वारा आगामी अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रशिक्षुओं का प्रवेश आगामी सत्र से रोक दिया जाना चाहिए।

11. कमियां/विसंगतियां दूर कर लिए जाने पर, संस्थान/व्यवसाय/यूनिट का संचालन, प्रबंधन द्वारा, विद्यमान संबंधन प्रक्रिया के अनुसार, पुन: प्रारम्भ किया जा सकता है।

12. जब कभी, सचिव एनसीवीटी द्वारा किसी आईटीआई/आईटीसी का मूल्यांकन आवश्यक ,समझा जाता है, तो सचिव एनसीवीटी द्वारा संबंधित राज्य निदेशक को एक समिति गठित करने तथा मूल्यांकन हेतु निरीक्षण का निष्पादन 6 सप्ताह के भीतर करने हेतु अनुरोध किया जाएगा। यदि, राज्य निदेशक अनुबद्ध समय अवधि के भीतर ऐसी समिति का गठन करने और संस्थान का निरीक्षण सुसाध्य बनाने में विफल रहता है, ऐसी समिति का गठन सचिव एनसीवीटी द्वारा किया जाएगा जो आवश्यक मूल्यांकन करेगी।

13. मूल्यांकन हेतु स्थायी समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट निरीक्षण के 07 दिन के भीतर डी जी ई एवं टी/सचिव (एनसीवीटी) को सौंपी जानी चाहिए। समिति की सिफारिश, संबंधन पर विचार और निर्णय हेतु एनसीवीटी की उप-समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

14. ऐसे मामलों में जहां, मूल्यांकन हेतु स्थायी समिति संस्थान बंद होने अथवा किसी अन्य कारणवश संस्थान का निरीक्षण नहीं कर सकेगी, तो मूल्यांकन समिति द्वारा तथ्य एनसीवीटी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे तथा संबंधन का कार्य देख रही एनसीवीटी की उप-समिति द्वारा इस रिपोर्ट के आधार पर एनसीवीटी से संस्थान के संबंधन के अ-संबंधन/निलम्बन पर विचार किया जाएगा।

परिशिष्ट I

एनसीवीटी के साथ पहले से संबंधित आईटीआई'ज/आईटीसी'ज/व्यावसायों/यूनिट्स के मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया के अधीन राज्य निदेशकों/संघ शासित प्रदेश प्रशासकों द्वारा आईटीआई'ज/आईटीसी'ज/संघ शासित के प्रबंधक को जारी किए जाने वाली सूचना

(सरकारी तथा निजी) - अ-संबंधन प्रक्रिया

आईटीआई'ज/आईटीसी'ज के प्रंबधन को उनके संस्थानों के मूल्यांकन हेतु सूचना।
आपके संस्थान में व्यवसाय/यूनिट्स नामत: ....
जैसाकि नीचे वर्णित है एनसीवीटी से सम्बद्ध हैं

क्रं.सं.	आईटीआई/आईटीसी में विद्यमान व्यवसाय तथा यूनिट्स	एनसीवीटी से संबंद्ध यूनिट्स
1	2	3

आपसे, इन व्यावसायों/यूनिट्स का संबंधन जारी रखने के लिए इनमें निर्धारित सिद्धांतों/मानकों के अनुसार संरचनात्मक सुविधाएं अनुरक्षित करने और प्रशिक्षण संचालन की अपेक्षा की जाती है। जैसे और जब वांछनीय होगा राज्य निदेशक द्वारा गठित स्थायी समिति द्वारा आपके संस्थान का निरीक्षण किया जा सकता है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए होगा कि समस्त प्रशिक्षण सुविधाएं लगातार उपलब्ध कराई जा रही है। आपको, संस्थान/व्यावसायों/यूनिट्स के निरीक्षण के लिए समिति को आवश्यक सहयोग तथा सहायता प्रदान करनी चाहिए।

आपको एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि यदि संरचनात्मक सुविधाएं सिद्धांतों/मानकों के अनुसार पर्याप्त नहीं पाई जाती हैं, एनसीवीटी के साथ पूर्व संबंधित व्यवसाय/यूनिट्स निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अ-संबंधित किए जा सकते हैं। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि स्थायी समिति को संस्थान का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी जाती है अथवा निरीक्षण हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान नहीं किया जाता है, तो इस पर राज्य सरकार गंभीर दृष्टिकोण अपनाएगी।

संबंधित राज्य निदेशक/संघ शासित प्रदेश प्रशासकों द्वारा उपरोक्त सूचना प्रत्येक वर्ष जनवरी/फरवरी माह में सभी आईटीआई'ज/आईटीसी'ज के प्रबंधन को पंजीकृत डाक से प्रेषित की जानी है।

परिशिष्ट II

एनसीवीटी के साथ पहले से संबंधित आईटीआई'ज/आईटीसी'ज/व्यावसायों/यूनिट्स के मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया के अधीन राज्य निदेशकों/संघ शासित प्रदेश प्रशासकों द्वारा आईटीआई'ज/आईटीसी'ज/संघ शासित के प्रबंधक को जारी किए जाने वाली सूचना

(सरकारी तथा निजी) - अ-संबंधन प्रक्रिया

स्थायी समिति द्वारा संस्थान के निरीक्षण हेतु आईटीआई'ज/आईटीसी'ज के प्रबंधन को सूचना।

हमारी जानकारी में आया है कि आपका संस्थान एनसीवीटी से पहले से ही स्वीकृत व्यावसायों / यूनिट्स में संबंधन हेतु निर्धारित सिद्धांतों/मानकों के अनुसार संरचनात्मक सुविधाएं अनुरक्षित नहीं करता है। अतएवं आपके संस्थान का निरीक्षण .... (तिथि) को स्थायी समिति द्वारा, संस्थान में संरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु, किए जाने का निर्णय किया गया है। आपको एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि यदि संबंधित व्यावसायों/यूनिट्स में प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण और सुविधाएं निर्धारित सिद्धांतों/मानकों के अनुसार पर्याप्त नहीं पाई जाती हैं, तो ये व्यवसाय / यूनिट्स, मूल्यांकन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अ-संबंधित किए जा सकते हैं।

आपसे अनुरोध है कि नियत तिथि को आईटीआई'ज /आईटीसी'ज/व्यावसायों /यूनिट्स के निरीक्षण हेतु समिति को समस्त आवश्यक सहायता और सहयोग उपलब्ध कराएं। यह सूचित किया जाता है कि यदि स्थायी समिति को संस्थान का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी जाती है अथवा समिति को सहयोग प्रदान नहीं किया जाता है, तो इसे राज्य सरकार गंभीरता से लेगी।

उपरोक्त सूचना राज्य निदेशक/संघ शासित प्रदेश प्रशासक द्वारा आईटीआई/आईटीसी के प्रबंधन को निरीक्षण की तिथि से कम से कम 30 दिन पूर्व पंजीकृत डाक से जारी की जानी है।

डीजीई एण्ड टी - 19 (10) 2010 - सीडी
भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय

दिनांक 29/9/2010

सेवा में,

1. **सचिव/सभी राज्य सरकारों के प्रधान सचिव/ व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक.**
2. **व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित राज्य के सभी निदेशक/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक.**
3. **निदेशक एटीआई हैदराबाद, एटीआई मुबंई, एटीआई कोलकाता, एटीआई कानपुर, एटीआई लुधियाना, प्रधानाचार्य सीटीआई चेन्नई.**

मद संख्या 3804.3; अनुदेशक जिनके पास जुलाई 2004 में 5 या उससे अधिक वर्ष का अनुभव था, उन्हें जहां अनुदेशक प्रशिक्षण सहूलियतें उपलब्ध हैं, वहां पर ट्रेडों के लिए प्रशिक्षित अनुदेशक के रूप में अभिधान करने के लिए, 3 महीने का पीओटी मापदंड समाप्त करना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) की राष्ट्रीय परिषद् की बैठक 31 मई 2010 में आयोजित की गई थी। जिन अनुदेशकों को जुलाई 2004 में 5 या उससे अधिक वर्ष का अनुभव प्राप्त था उन्हें प्रशिक्षित अनुदेशक के रूप में अभिधान करने के लिए 3 महीने का पीओटी प्रावधान हटाने का जिक्र बैठक में कार्य सूची सं. 3804.3 के तहत किया गया।

यह अनुभव किया गया कि जिन अनुदेशकों को जुलाई 2004 में 5 या उससे अधिक वर्ष का अनुभव था उन्हें एक बारगी ढील के रूप में डीजीई एण्ड टी ने अपने 19 (2) / 2004 - सीडी दिनांक 19 / 22 जुलाई 2004 को 3 महीने का पीओटी प्रशिक्षण का प्रावधान बनाया था जिससे प्रशिक्षण देने की गुणवत्ता में बुरा प्रभाव पड़ा। इसीलिए परिषद ने उपर्युक्त प्रावधान को तुरंत हटाने की सिफारिश की। परिषद में आईटीआई/आईटीसी की गुणवत्ता से संबंधित अनेक मुद्दों पर भी बातचीत की और निम्नलिखित का तुरंत कार्यान्वयन करने का अनुमोदन किया:

1. डीजीईएण्डटी के पत्र संख्या 19 (2)/2004 सीडी दिनांक 19/22 जुलाई 2004 के तहत् जारी किए गए आदेशों की वापसी, जिसमें जुलाई 2004 में पांच वर्ष या उससे अधिक का अनुभव रखने वाले अनुदेशक के 3 महीने के पीओटी प्रशिक्षण के विशेष प्रावधान के बारे में और उन्हें प्रशिक्षित अनुदेशकों का दर्जा देने के बारे में कहा गया था।
2. संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी गई अप्रशिक्षित अनुदेशकों की संख्या के आधार पर उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए डीजीई एण्ड टी उचित तरीका/योजना तैयार करेगी।
3. सभी वर्तमान अनुदेशकों को सभी मापदण्डों में तीन वर्ष की अवधि के भीतर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जहां पर डीजीई एण्ड टी के पास अपर्याप्तता/कोई क्षमता नहीं है, वहां पर क्षमता रखने वाली उचित सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों की संस्था की सहायता से प्रशिक्षण मापदण्ड की व्यवस्था कराने की संभाव्यता को तलाशा जाएगा।

4. तीन वर्ष की अवधि के बाद, नये/अतिरिक्त ट्रेडों/यूनिटों से संबद्धता रखने वाली किसी भी इच्छुक संस्था को यह सुनिश्चित करना होगा कि उस संस्था में संबद्ध किए गए ट्रेडों/यूनिटों के लिए कोई अप्रशिक्षित अनुदेशक नहीं है।
5. सभी अनुदेशकों को प्रत्येक एकान्तर वर्ष में 2 सप्ताह के पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेना चाहिए जिसे डीजीईएण्डटी/राज्य निदेशालय/आईएससी द्वारा चलाया जाता है। यह जरूरी नहीं है कि इन कार्यों के लिए यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता डीजीईएण्डटी द्वारा दिया जाए।
6. आईटीआई/आईटीसी के व्यावसायिक प्रशिक्षक को केवल कला प्रशिक्षक का प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही उच्च पद में पदोन्नत किया जाएगा।

भारत सरकार ने परिषद की तुरंत कार्यान्वयन करने की सिफारिश को स्वीकार किया है। तदनुसार तत्कालीन प्रभाव से निम्नलिखित मानों को अपनाया जाना चाहिए:-

1. आगे के लिए डीजीईएण्डटी के पत्र संख्या 19 (2)/2004 -सीडी दिनांक 19/22 जुलाई 2004 के पत्र के तहत् अनुदेशकों को प्रशिक्षित अनुदेशक का दर्जा नहीं दिया जाएगा।
2. एनसीवीटी मानदण्डों के मुताबिक अनुदेशकों को सभी मापदण्डों में प्रशिक्षित होना चाहिए और उन्हें प्रशिक्षित अनुदेशक का दर्जा देने के लिए उनके पास राष्ट्रीय कला प्रशिक्षक का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
3. आईटीआई/आईटीसी के व्यावसायिक अनुदेशकों को उच्च पद पर तभी पदोन्नत किया जाएगा जब वे राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक का प्रमाण पत्र हासिल कर लेंगे।
4. यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण केवल प्रशिक्षित अनुदेशकों द्वारा ही दिया जाए, आईटीआई/आईटीसी/ एनसीवीटी से संबद्ध किसी भी दूसरी संस्था को 'अनुदेशकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम' में प्रतिवर्ष 20-30% अनुदेशक भेजने चाहिए ताकि सभी वर्तमान अनुदेशक तीन वर्ष की अवधि के भीतर प्रशिक्षित हो सकें। इसके पश्चात् किसी आईटीआई/आईटीसी में नए/अतिरिक्त ट्रेडों/यूनिटों की संबंद्धता की मंजूरी यह सुनिश्चित करने के बाद ही दी जाएगी अब उस आईटीआई/आईटीसी में संबद्ध हो चुके ट्रेडों/यूनिटों के लिए कोई अप्रशिक्षित अनुदेशक नहीं रह गया है।

भवदीय
ह/-
(आरएलसिंह)
प्रशिक्षण निदेशक
सदस्य सचिव एनसीवीटी

प्रतिलिपि:

1. निदेशक सीएसटीएआरआई कोलकाता/एटीआई (ईपीआई) हैदराबाद और देहरादून, एफटीआई बंगलौर और जमशेदपुर और एनआईएमआई चेन्नई
2. आरडीएटी कानपुर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, फरीदाबाद और हैदराबाद
3. प्रधानाचार्य एमआईटीआई, कालीकट, जोधपुर, चौदवार, एनवीटीआई, नई दिल्ली और सभी आरवीटीआई
4. संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण स्तर के डीजीईटी और (मुख्यालय) के सभी अधिकारी।

ह/-
(अनिता श्रीवास्तव)
उपनिदेशक प्रशिक्षण

प्रतिलिपि सूचनार्थ: श्रम और रोजगार मंत्री के निजी सचिव, एमओ एस (एलएण्डई) के निजी सचिव, (एलएण्डई) के निजी सचिव, डीजी/जेएस के निजी सचिव.

डीजीईएण्डटी - 19 (26)/2010 - सीडी
भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
रोजगार और प्रशिक्षण के महानिदेशालय

दिनांक 30/9/2010

सेवा में,

1. सचिव/सभी राज्य सरकारों के प्रधान सचिव/व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक
2. व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित राज्य के सभी निदेशक/संघ शासित राज्यों के प्रशासक
3. निदेशक एटीआई हैदराबाद, एटीआई मुंबई, एटीआई कोलकाता, एटीआई कानपुर, एटीआई लुधियाना, प्रधानाचार्य सीटीआई चेन्नई

विषय: मद संख्या 3804.19: सीओई के रूप में पदोन्नत आईटीआई में कार्यान्वि‍ित किए जाने वाले बहु कौशल पाठ्यक्रमों के अग्रिम मापदण्ड के लिए प्रशिक्षक योग्यता

महोदय/महोदया

मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि श्रम और मंत्रालय के माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में व्यावसायिक प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् की 38वीं बैठक 31 मई 2010 में आयोजित की गई थी। सीओई के रूप में पदोन्नत किए गए आईटीआई में कार्यान्वित किए जा रहे बहु कौशल पाठ्यक्रमों के उच्च मापदण्ड के लिए अनुदेशक की योग्यता पर कार्यसूची की मद संख्या 3804.19 के तहत चर्चा की गई।

सीओई के रूप में पदोभूत आईटीआई में कार्यान्वि‍ित किए जा रहे बहु कौशल पाठ्यक्रमों के उच्च मापदण्डों के लिए परिषद् द्वारा निम्नलिखित योग्यता की सिफारिश की गई।

आवश्यक योग्यता		**अनुभव उद्योग /प्रशिक्षण में**	**वांछनीय**
शैक्षिक	**तकनीकी**		
10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष	क) इंजीनियरी क्षेत्र के लिए i.इंजीनियरी की उपयुक्त शाखा में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या इसके समकक्ष या	उपयुक्त/संबंधित मॉड्यूल में 2 वर्ष	शिल्प अनुदेशक के प्रशिक्षण कार्यक्रम का एनसीवीटी से अनुमोदित प्रशिक्षण कार्य पद्वति मापदण्ड में उत्तीर्ण

	ii. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से इंजीनियरी की उपयुक्त शाखा में 3 साल का डिप्लोमा या समकक्ष ख) गैर इंजीनियरी क्षेत्र i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपयुक्त क्षेत्र में डिग्री या समकक्ष या ii. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से उपयुक्त क्षेत्र में 3 वर्ष का डिप्लोमा	या उपयुक्त/संबंधित मॉड्यूल में 5 वर्ष उपयुक्त/संबंधित मॉड्यूल में 2 वर्ष या उपयुक्त/संबंधित मॉड्यूल में 5 वर्ष	शिल्प अनुदेशक के प्रशिक्षण कार्यक्रम की एनसीवीटी से अनुमोदित प्रशिक्षण कार्य पद्धति मॉड्यूल में उत्तीर्ण
	यदि नियुक्त अनुदेशक के पास शिल्प अनुदेशक के प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षण कार्य पद्धति का प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे प्रशिक्षण कार्य पद्धति मॉड्यूल में कार्यभार ग्रहण करने के प्रथम छः महीनों के भीतर प्रशिक्षित हो जाना चाहिए।		

भारत सरकार ने शिल्प अनुदेशक के लिए बहु कौशल पाठ्यक्रमों के अग्रिम मॉड्यूल की तुरंत प्रभावी तिथि से कार्यन्वयन करने के लिए अनुदेशकों को उपर्युक्त योग्यता के मुताबिक नियुक्त किया जाना चाहिए और यदि नियुक्त अनुदेशक के पास शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षण कार्य पद्धति मॉड्यूल का प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे प्रशिक्षण कार्य पद्धति माड्यूल में कार्यभार ग्रहण करने के छः महीने की अवधि के भीतर प्रशिक्षित हो जाना चाहिए।

भवदीय
ह/-
(आरएल सिंह)
प्रशिक्षण निदेशक
सदस्य सचिव एनसीबीटी

प्रतिलिपि:

1. निदेशक, सीएसटीएआरआई कोलकाता/एटीआई (ईपीआई), हैदराबाद और देहरादून, एफटीआई बंगलौर और जमशेदपुर और एनआईएमआई चेन्नई
2. आरडीएटी कानपुर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, फरीदाबाद और हैदराबाद
3. प्रधानाचार्य, एमआईटीआई, हलद्वानी, कालीकट, जोधपुर, चौदवार, एनवीटीआई, 'नई दिल्ली' और सभी आरवीटीआई
4. जेडीटी स्तर के डीजीटीई (मुख्यालय) के सभी अफसर

ह/-
(अनिता श्रीवास्तव)
उपनिदेशक प्रशिक्षण

सूचना के लिए प्रति:- श्रम और रोजगार के मंत्री के निजी सचिव, एमओएस (एलएंडई) के निजी सचिव (एलएंडई), सचिव के निजी सचिव, डीजी/जेएस के निजी सचिव।

डीजीई और टी - 19 (18)/2010 - सीडी
भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय महानिदेशक रोजगार और प्रशिक्षण

दिनांक 9 अगस्त 2010.

सेवा में,

1. सचिव/सभी राज्य सरकारों के प्रधान सचिव/व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित सभी संघ शासित प्रशासनों के प्रशासक
2. सभी राज्यों के व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित निदेशक, संघ शासित प्रशासनों के प्रशासक
3. निदेशक: एटीआई हैदराबाद, एटीआई मुंबई, एटीआई कोलकाता, एटीआई कानपुर, एटीआई लुधियाना, प्रधानाचार्य सीटीआई चेन्नई
4. निदेशक- आरडीएटी कानपुर, मुंबई, कोलकाता चेन्नई, फरीदाबाद और हैदराबाद

विषय: निरीक्षण के लिए स्थायी समिति का पुनर्गठन

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी) की 38वीं बैठक माननीय श्रम और रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में 31 मई 2010 को आयोजित की गई थी। कार्यसूची की मद संख्या 3804.11 के तहत् बैठक में स्थायी समिति के पुनर्गठन के बारे में चर्चा की गई।

संबंधन के प्रयोजनार्थ समिति, आईटीआई/टीसीएस के निरीक्षण के लिए स्थाई समिति का गठन भारत सरकार द्वारा तुरंत प्रभावी तिथि से कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित किया गया।

1. एक सदस्य एनसीवीटी के सचिव द्वारा अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा नामित किया जाएगा - अध्यक्ष
2. शिल्पकार प्रशिक्षण के प्रभारी राज्य निदेशक द्वारा सदस्य नामित किया जाएगा - सदस्य
3. दो सदस्य एससीवीटी द्वारा नामित किए जायेंगे (एक उद्योग से तकनीकी विशेषज्ञ तथा दूसरा ट्रेड यूनियन का प्रतिनिधित्व करने वाला तकनीकी विशेषज्ञ) - सदस्य
4. संबद्ध ट्रेड/ट्रेडों में राज्य निदेशक एक या दो विशेषज्ञों का चुनाव कर सकता है

(क) सरकारी विभागों के प्रतिनिधि को ग्रुप बी राजपत्रित (तकनीकी) अफसर या उससे ऊपर का होना चाहिए।

टिप्पणी - एक ही विभाग से किसी भी हालत में दो सदस्य नहीं होंगे।

अनुरोध है कि संबंधन के प्रयोजनार्थ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आईटीआई/आईटीसी के निरीक्षण के लिए स्थाई समिति का गठन करते समय इसका कड़ाई से अनुसरण किया जाए।

ह/-
भवदीय
(आरएल सिहं)
निदेशक प्रशिक्षण
सदस्य सचिव एनसीवीटी

प्रतिलिपि:

1. निदेशक सीएसटीएआरआई, कोलकाता/एटीआई (ईजीआई) हैदराबाद तथा देहरादून, एफटीआई बंगलौर और जमशेदपुर और एनआईएमआई चेन्नई.
2. आरडीएटी कानपुर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, फरीदाबाद और हैदराबाद
3. प्रधानाचार्य एमआईटीआई, हल्द्वानी, कालीकट, जोधपुर, चौदवार, एनवीटीआई नोएडा और सभी आरवीटीआई
4. डीजीईटी (मुख्यालय) के जेडीटी स्तर के सभी अफसर

डीजीई एंड टी - 19 (11)/2010-सीडी
भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय

दिनांक 4 अगस्त 2010

सेवा में,

1. सचिव/सभी राज्य सरकारों के प्रधान सचिव/व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित सभी संघशासित प्रशासनों के प्रशासक
2. सभी राज्यों के व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित निदेशक / संघ शासित प्रशासनों के प्रशासक
3. निदेशक एटीआई हैदराबाद, एटीआई मुंबई, एटीआई कोलकाता, एटीआई, कानपुर, एटीआई लुधियाना, प्रधानाचार्य सीटीआई चेन्नई.

विषय: शिल्प अनुदेशकों के लिए अखिल भारतीय ट्रेड परीक्षा पास करने के लिए जाने वाले प्रयासों की संख्या में वृद्धि

महोदय/महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् की 38वीं बैठक श्रम और रोजगार मंत्रालय के माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में 3 मई 2010 को आयोजित की गई। बैठक की कार्यसूची की मद संख्या 3804.4 के तहत अनुदेशकों के अखिल भारतीय शिल्प परीक्षा में प्रशिक्षक अनुदेशकों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की संख्या को बढ़ाये जाने के बारे में चर्चा की गई।

विचार - विमर्श के बाद परिषद् ने यह अनुमोदन किया कि किसी भी प्रशिक्षक अनुदेशक को प्रशिक्षण पूरा करना होगा और मॉड्यूलर अनुदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम मॉड्यूल में प्रवेश करने की तिथि के तीन वर्ष की अवधि के भीतर सभी मापांको को उत्तीर्ण करना होगा। परिषद् ने यह भी अनुमोदन किया कि किसी भी अनुदेशक प्रशिक्षार्थी के लिए प्रथम मॉड्यूल में प्रवेश करने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर मॉड्यूल उत्तीर्ण करने के लिए किए गए प्रयासों की संख्या में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा।

भारत सरकार ने परिषद की उपर्युक्त सिफारिशों को कार्यान्वयन के लिए स्वीकार कर लिया है। तदनुसार, अनुदेशक प्रशिक्षार्थी को प्रथम मॉड्यूल में प्रवेश लेने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर उपलब्ध मापांको को पास करने के लिए किए गए प्रयासों की संख्या में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। यद्दपि किसी भी प्रशिक्षार्थी को प्रथम अनुदेशक मॉड्यूल प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश पाने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर प्रशिक्षण को पूरा करना होगा और सभी मापांको को पास करना होगा।

उपर्युक्त प्रावधान पूर्वत: शिल्प मॉड्यूल अनुदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भी निम्नलिखित शर्तों के मुताबिक लागू होगा:-

1. वे प्रशिक्षार्थी उस मॉड्यूल परीक्षा में बैठने की छूट पायेंगे जिसमें वे पहले उत्तीर्ण हो चुके हों।
2. पूर्व ट्रेड प्रौद्योगिकी मॉड्यूल के असफल परीक्षार्थियों को नए नमूने के ट्रेड प्रौद्योगिकी I और ट्रेड प्रद्योगिकी II को पास करना जरुरी होगा।

3. ऐसे अभ्यर्थियों को वर्तमान पद्वति के सभी मॉड्यूल अगस्त 2009 से तीन वर्ष के भीतर पास करने होंगे।
4. अगस्त 2009 से तीन वर्ष के भीतर तक किए गए प्रयासों में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा।

भवदीय
ह/-
(आरएल सिंह)
निदेशक प्रशिक्षण
सचिव एनसीवीटी

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक सीएसटीएआरआई कोलकाता/एटी (ईपीआई) हैदराबाद और देहरादून, एफटीआई बंगलौर और जमशेदपुर और एनआर एमआई चेन्नई
2. आरडीएटी कानपुर, मुंबई, चेन्नई, फरीदाबाद और हैदराबाद
3. प्रधानाचार्य एमआईटीआई हल्द्वानी, कालीकट, जोधपुर चौदवार, एवीटीआई, नई दिल्ली और सभी आरवीटीआई.
4. डीजीईटी और (मुख्यालय) के जेडीटी स्तर के सभी अफसर

(अनिता श्रीवास्तव)
उप निदेशक प्रशिक्षण

सूचना के लिए प्रति: श्रम और रोजगार मंत्री के निजी सचिव, एमओएस (एलएंडई) के निजी सचिव, सचिव (एलएंडई) के निजी सचिव, डीजी/जेएस के निजी सचिव

डीजीई एंड टी- 19 (29)/2010-सीडी
भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय

दिनांक 22 सितंबर 2010

सेवा में,

1. सचिव, व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के प्रधान सचिव
2. सभी राज्यों के व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित निदेशक /केंद्र शासित प्रशासनों के प्रशासक
3. निदेशक एटीआई, हैदराबाद, एटीआई, मुंबई, एटीआई कोलकाता, एटीआई, कानपुर, एटीआई लुधियाना, प्रधानाचार्य सीटीआई, चेन्नई

विषय: अतिरिक्त मद संख्या 3: नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/केंद्र खोलना

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि माननीय श्रम और रोजगार माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में 31 मई, 2010 को व्यावसायिक प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद (एनसीवीटी) की 38 वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक की कार्यसूची के अतिरिक्त मंद संख्या 3 के तहत नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/केंद्र खोलने के बारे में चर्चा की गई।

परिषद् ने पूर्ण स्वायत्त, निजी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत, अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी और न्यास, और एसईजेड प्रोमोटरों आदि जैसी कंपनियों के द्वारा नए आईटीआई/आईटीसी खोलने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। परिषद् ने यह भी अनुमोदन किया कि ये संगठन नियम और अधिनियम के अनुसार अनुदेशकों के प्रशिक्षण संस्थान भी खोल सकेंगे।

भारत सरकार ने उपर्युक्त प्रस्ताव को कार्यान्वयन के लिए स्वीकार किया/इसीलिए अब पूर्ण स्वायत्त, निजी/सार्वजनिक लिमिटेड, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत, अधिनियम के अनुसार पंजीकृत सोसायटी और न्यास और एसईजेड के प्रोमोटर आदि जैसी कंपनियों को आईटीआई/आईटीसी और साथ साथ अनुदेशकों के प्रशिक्षण संस्थान खोलने और एनसीवीटी से संबद्धता लेने की अनुमति दी जाती है।

भवदीय
ह/-
(आरएल सिंह)
निदेशक प्रशिक्षण
सदस्य सचिव एनसीवीटी

प्रतिलिपि

1. निदेशक सीएसटीए आरआई, कोलकाता/एटीआई (ईपीआई) हैदराबाद और देहरादून, एफटीआई बंगलौर और जमशेदपुर और एनआई एमआई चेन्नई
2. आरडीएटी कानपुर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, फरीदाबाद और हैदराबाद
3. एमआईटीआई के प्रधानाचार्य हल्द्वानी, कालीकट, जोधपुर चौद्ववार, एनवीटीआई, नई दिल्ली और सभी आरवीटीआई
4. डीजीईटी और (मुख्यालय) के जेडीटी स्तर के सभी अफसर

ह/-
(अनिता श्रीवास्तव)
प्रशिक्षण के उपनिदेशक

सूचना के लिए प्रति

श्रम और रोजगार मंत्री के निजी सचिव, एमओएस (एलएंडई) के निजी सचिव, सचिव (एलएंडई) के निजी सचिव, डीजी/जेएस के निजी सचिव.

डीजीई एंडटी - 19(28)/2010 -सीडी
भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय

दिनांक 14 सितम्बर 2010.

सेवा में,

1. केंद्र शासित प्रशासक सचिव प्रधान सचिव/व्यावसायिक प्रशिक्षण
2. सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित निदेशक /
3. निदेशक एटीआई हैदराबाद, एटीआई मुंबई, एटीआई कोलकाता, एटीआई कानपुर, एटीआई लुधियाना, प्रधानाचार्य सीटीआई, चेन्नई

विषय: अतिरिक्त कार्यसूची संख्या 2 : शिल्पकारों के लिए अखिल भारतीय ट्रेड परीक्षा आयोजित करने के लिए ट्रेड परीक्षा केंद्र के चुनाव के लिए मानदण्ड।

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के माननीय मंत्री जी के अध्यक्षता में व्यावसायिक प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद (एनसीवीटी) की 38वीं बैठक 31 मई 2010 को आयोजित की गई थी। अतिरिक्त कार्यसूची की मद संख्या 2 के तहत शिल्पकारों के लिए अखिल भारतीय ट्रेड परीक्षा आयोजित करने के लिए ट्रेड परीक्षा केंद्र के चुनाव मानदण्डों के बारे में चर्चा की गई।

यह प्रस्ताव किया गया कि नए आईटीआई/आईटीसी को पूरी तौर से विश्वसनीयता हासिल करने के बाद ही "ट्रेड परीक्षा केंद्र" बनाया जाएगा। तदनुसार परिषद ने खण्ड - I में निम्नलिखित संशोधनों का अनुमोदन किया: आईटीआई/आईटीसी के लिए 'प्रशिक्षण पुस्तिका" के परिशिष्ट viii के पैरा 21(1) में दिए गए अखिल भारतीय ट्रेड परीक्षा आयोजन करने के लिए ट्रेड परीक्षा केंद्रों के चुनाव के मानदण्ड/आईटीआई/आईटीसी की 'प्रशिक्षण पुस्तिका' के परिशिष्ट viii के पैरा 21 (1) में दिए गए ट्रेड परीक्षा प्रक्रिया में ट्रेड परीक्षा केंद्र के चयन के मानदण्ड। तथापि अन्य सभी खण्ड उसी प्रकार अपरिवर्तित रहेंगे।

1. ट्रेड परीक्षा केवल उन्हीं आईटीआई/आईटीसी में आयोजित की जाएगी जिसमें कम से कम एनसी वीटी से संबद्धता रखने वाले 8 ट्रेड हों और उनमें से कम से कम 5 पुराने हों। तथपि ऐसे आईटीआई/आईटीसी जो सीटीएस के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों से चलाए गए ट्रेडों से संबद्धता रखते हो और जो ट्रेड, जिले में अलग प्रकार के हों, उन्हें ऊपर दी गई शर्त से छूट है और उन्हें ट्रेड परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है
   विशेष परिस्थियों में राज्य निदेशक किसी ऐसी संस्था में ट्रेड परीक्षा केंद्र की स्थापना कर सकता है जिसमें 8 से कम यूनिटें हो बशर्ते कि इसमें सभी अन्य अपेक्षित संरचायें विद्यमान हों। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इसका पर्यवेक्षण किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा किया गया है जो संस्थान के स्टाफ सदस्यों से अलग होगा।

भारत सरकार ने परिषद् की उपर्युक्त सिफारिशों को कार्यान्वयन के लिए स्वीकार कर लिया है। अत: अब परिशिष्ट -I में दिए गए संशोधित मानदण्डों को शिल्पकारों के लिए आयोजित किए जाने वाली अखिल भारतीय ट्रेड परीक्षा के ट्रेड परीक्षा केंद्रों के चयन के लिए अपनाया जाना चाहिए।

भवदीय
ह/-
(आरएल सिंह)
निदेशक प्रशिक्षण
सदस्य सचिव एनसीवीटी

प्रतिलिपि

1. निदेशक सीएसटीएआरआई, कोलकाता/एटीआई (ईपीआई) हैदराबाद और देहरादून, एफटीआई बेंगलुरु और जमशेदपुर और एनआईएमआई चेन्नई
2. आरडीएटी, कानपुर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई फरीदाबाद और हैदराबाद
3. प्रधानाचार्य एमआरटीआई, हल्द्वानी कालीकट, जोधपुर, चौदवार, एनवीटीआई, नई दिल्ली और सभी आरवीटीआई
4. डीजीईटी और मुख्यालय के जेडीटी स्तर के सभी अफसर

ह/-
(अनिता श्रीवास्तव)
उप निदेशक प्रशिक्षण

सूचना के लिए प्रति - श्रम और रोजगार मंत्री के निजी सचिव, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री के निजी सचिव, डीजी/जेएस के निजी सचिव।

अनुबंध-1

व्यवसाय परीक्षा केन्द्रों के चयन हेतु मानदण्ड

i. व्यवसाय परीक्षा केन्द्रः केवल उन आईटीआई'ज/आईटीसी'ज में व्यवसाय परीक्षा संचालित की जा सकती है, जो न्यूनतम 8 व्यावसायों/यूनिटों के लिए एनसीवीटी के साथ सम्बद्ध हैं तथा कम से कम 5 वर्ष से कार्यरत हैं। तथापि, ऐसे आईटीआई'ज/आईटीसी'ज जो विगत पांच वर्ष की अवधि में सीटीएस के अधीन प्रारंभ किए गए व्यावसायों अथवा ऐसे व्यावसायों में संबद्ध हैं जो जनपदों में विलक्षण हैं, उपरोक्त उपबंध से मुक्त हैं तथा व्यवसाय परीक्षा केन्द्र बनाए जा सकते हैं। अपवाद परिस्थितियों में राज्य निदेशक ऐसे संस्थान में भी व्यवसाय परीक्षा केन्द्र अवस्थित कर सकते हैं जहां 8 से कम यूनिट हैं, परन्तु शर्त यह है कि इसमें अन्य सभी आवश्यक संरचात्मक सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निरीक्षण, संस्थान के स्टाफ सदस्यों को छोड़कर, किस सक्षम व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

ii. ऐसे आईटीआई/आईटीसी जहां 8 से कम यूनिट हैं उनके लिए प्रयोगात्मक व्यवसाय परीक्षा न्यूनतम 8 यूनिट क्षमता और संबंधित व्यवसाय (यों) के धारक सम्बद्ध आईटीआई/आईटीसी में संचालित की जा सकती है जो अधिमानतः 50कि.मी. की दूरी के अंदर अवस्थित है।

iii. 8 यूनिट से कम क्षमता धारक आईटीआई'ज हेतु, सैद्धान्तिक परीक्षा का संचालन छोटे भिन्न आईटीआई'ज का समूह बनाकर एक उपयुक्त भवन में किया जा सकता है, यदि ऐसा अपेक्षित है।

iv. शिल्पकार प्रशिक्षण के प्रभारी राज्य निदेशक को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा निर्धारित व्यवसाय परीक्षा केन्द्रों में प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन हेतु समस्त आवश्यक सुविधाएं जैसे कि टूल्स, उपस्कर तथा मशीनरी उपलब्ध हैं। उन्हें व्यवसाय परीक्षा प्रांरभन से पूर्व इन केन्द्रों के निरीक्षण हेतु उत्तरदायी अधिकारी भी यह सुनिश्चित करने के लिए भेजने चाहिए कि इन केन्द्रों में अपेक्षित संख्या में मशीनरी/उपस्कर सुव्यवस्थित हैं। ऐसे संस्थानों, जहां अपेक्षित संख्या में मशीनें/उपस्कर मौजूद नहीं हैं अथवा काम करने की हालत में नहीं हैं, का चयन व्यवसाय परीक्षा केन्द्र के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

डी जी ई एवं टी-19(27)2010-सीडी
भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय

दिनांकः 30 अगस्त,2010

सेवार्थ,

1. **समस्त राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश प्रशासनों के सचिव/प्रधान सचिव जो व्यावसायिक प्रशिक्षण का कार्य देख रहे हैं।**
2. **व्यावसायिक प्रशिक्षण का कार्य देख रहे समस्त राज्यों/संघ शासित प्रदेश प्रशासनों के निदेशक।**
3. **निदेशक, एटीआई हैदराबाद, एटीआई मुंबई, एटीआई कोलकाता, एटीआई कानपुर, एटीआईलुधियाना, प्रिंसिपल सीटीआई, चेन्नई।**

विषयः अतिरिक्त मद सं.1: शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत व्यावसायों हेतु शक्ति मानदण्ड़ों का निर्धारण।

महोदय,

मुझे आपको सूचना देने हेतु निदेशित किया गया है कि राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की 38 वीं बैठक 31 मई, 2010 को माननीय मंत्री, श्रम एवं रोजगार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई है। बैठक में 'शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत व्यावसायों हेतु शक्ति मानदण्डों का निर्धारण' पर अतिरिक्त कार्यसूची मद सं.1 के रूप में विचार-विमर्श किया गया था।

संबंधन प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता तथा सुसंगतता सुनिश्चित करने के लिए सीटीएस के अधीन 114 व्यावसायों हेतु शक्ति मानदण्डों का निर्धारण इस प्रयोजन हेतु गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। परिषद् द्वारा सीटीएस के अधीन व्यावसायों हेतु उपरोक्त शक्ति मानदण्ड़ों का अनुमोदन किया गया जो संलग्न परिशिष्ट में दिए गए हैं।

भारत सरकार ने सीटीएस के अधीन 114 व्यावसायों हेतु ऊपर सुझाए गए शक्ति मानदण्ड कार्यान्विन हेतु स्वीकृत किए हैं। अब से आगे, एनसीवीटी से संबंधन प्राप्त करने के इच्छुक संस्थानों (आईटीआई'ज/आईटीसी'ज) को संबंधित व्यवसाय हेतु निर्धारित शक्ति की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करनी चाहिए, जैसी कि संलग्न परिशिष्ट में दी गई है।

आपका हितैषी
हस्ता/-
(आर.एल.सिंह)
निदेशक, प्रशिक्षण
सदस्य सचिव, एनसीवीटी

प्रतिलिपि सेवार्थ,

1. निदेशक सीएसटीएआरआई, कोलकाता/एटीआई (ईपीआई) हैदराबाद एवं देहरादून, एफ टी आई बेंगलुरु एवं जमशेदपुर एवं एनआईएमआई चेन्नई
2. आरडीएटी कानपुर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, फरीदाबाद एवं हैदराबाद
3. प्रिंसिपल एमआईटीआई, हल्द्धानी, कालीकट, जोधपुर, चौद्धार, एनवीटीआई, नई दिल्ली तथा समस्त आरवीटीआई'ज
4. डीजीई एवं टी(एच क्यू) के जेडीटी स्तर तक के समस्त अधिकारी

हस्ता./-
(अनिता श्रीवास्तव)
उपनिदेशक, प्रशिक्षण

सूचनार्थ प्रतिलिपिः श्रम एवं रोजगार मंत्री के पीएस, एमओएस (एल एवं ई) के पीएस, सचिव (एल एवं ई) के पीएस, डीजी/जेएस के पीएस

शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के अन्तर्गत
इंजीनियरिंग तथा गैर-इंजीनियरिंग व्यावसायों हेतु संस्तुत प्रति यूनिट शक्ति मानदण्ड
इंजीनियरिंग व्यवसाय

क्र.सं.	व्यवसाय का नाम	योग
1.	वास्तुशिल्प सहायक	12.6 किलोवाट
2.	परिचर सहायक (रासायनिक संयंत्र)	13 किलोवाट
3.	भवन अनुरक्षण	2.5 किलोवाट
4.	बढ़ई	4 किलोवाट
5.	ड्राफ्ट्समैन (सिविल)	3.7 किलोवाट
6	ड्राफ्ट्समैन (मेकैनिकल)	3.7 किलोवाट
7	इलेक्ट्रीशियन	एक शिफ्ट में 2 यूनिटों के लिए 5.2 किलोवाट
8	इलेक्ट्रीनिक मेकैनिक	3.04 किलोवाट
9	इलेक्ट्रोप्लेटर	16 किलोवाट
10	फिटर	3.51 किलोवाट
11	फाउण्ड्रीमैन	11 किलोवाट
12	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक प्रणाली अनुरक्षण	7.2 किलोवाट
13	इंस्ट्रूमेंट मेकैनिक	8.07 किलोवाट
14	इंस्ट्रूमेंट मेकैनिक (रासायनिक संयंत्र)	8 किलोवाट
15	आंतरिक सज्जा एवं डिजाइनिंग	9.3 किलोवाट
16	प्रयोगशाला सहायक (रासायनिक संयंत्र)	6 किलोवाट
17	लिफ्ट मेकैनिक	10 किलोवाट
18	मशीनिस्ट	18.32 किलोवाट
19	मशीनिस्ट (ग्राइन्डर)	23.4 किलोवाट
20	अनुरक्षण मेकैनिक (रासायनिक संयंत्र)	13 किलोवाट
21	मैरीन फिटर	3 किलोवाट
22	राज मिस्त्री (भवन निर्माण)	2.5 किलोवाट
23	मेकैनिक संचार उपस्कर अनुरक्षण	2 किलोवाट
24	मेकैनिक भारी वाहन मरम्मत एवं अनुरक्षण	6 किलोवाट
25	मेकैनिक हल्के वाहन मरम्मत एवं अनुरक्षण	6 किलोवाट
26	मेकैनिक दोपहिया वाहन मरम्मत एवं अनुरक्षण	1.2 किलोवाट
27	मेकैनिक (डीजल)	4.22 किलोवाट
28	मेकैनिक (मोटर वाहन)	4.8 किलोवाट
29	मेकैनिक (रेडियो एवं टीवो)	3.04 किलोवाट
30	मेकैनिक (रेफ्रीजरेशन एवं एयरकंडीशनर)	6.82 किलोवाट
31	मेकैनिक (ट्रैक्टर)	4.4 किलोवाट
32	मेकैनिक कृषि मशीनरी	13.5 किलोवाट
33	मेकैनिक ऑटो इलेक्ट्रीकल तथा इलेक्ट्रानिक्स	2.5 किलोवाट
34	मेकैनिक कम्प्यूटर हार्डवेयर	4 किलोवाट
35	मेकैनिक उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स	2 किलोवाट
36	मेकैनिक औद्योगिक इलेक्ट्रानिक्स	3 किलोवाट
37	मेकैनिक लेंस/प्रिज्म ग्राइंडिंग	7.5 किलोवाट
38	मेकैनिक मशीन टूल्स मेंटीनेंस	17 किलोवाट
39	मेकैनिक मेकाट्रानिक्स	8 किलोवाट

40	मेकैनिक चिकित्सा इलेक्ट्रानिक्स	2 किलोवाट
41	मेकैनिक-सह-प्रचालक इलेक्ट्रानिक्स संचार प्रणाली	2 किलोवाट
42	प्रचालक प्रगत मशीन टूल्स	25 किलोवाट
43	पेंटर सामान्य	5 किलोवाट
44	फिजियोथेरैपी तकनीशियन	3 किलोवाट
45	प्लास्टिक प्रोसेसिंग आपरेटर	13.6 किलोवाट
46	नलसाज (प्लम्बर)	2.6 किलोवाट
47	पम्प आपरेटर-सह-मेकैनिक	11 किलोवाट
48	रेडीयोलाजी तकनीशियन(रेडियों डायग्नोसिस एवं रेडियोथेरैपी)	4 किलोवाट
49	सैनीटरी हार्डवेयर फिटर	4.3 किलोवाट
50	शीट मेटल वर्कर	11 किलोवाट
51	कताई तकनीशियन	19 किलोवाट
53	टेक्सटाइल मेकाट्रानिक्स	9 किलोवाट
54	टूल एवं डाई मेकर (डाइयां और मोल्ड)	29.6 किलोवाट
55	टूल एवं डाई मेकर (प्रेस टूल्स, जिग्स एवं फिक्सचर्स)	29.6 किलोवाट
56	खरादिया(टर्नर)	16.35 किलोवाट
57	पोत दिक्चालन निर्देशक (विकासाधीन)	15.4 किलोवाट
58	वेल्डर (गैस तथा बिजली)	9.4 किलोवाट
59	बुनाई तकनीशियन	4.38 किलोवाट
60	वायरमैन	

नोटः सामान्यतः 3 फेस की संस्तुति की जाएगी किंतु 5 कि.वा. अथवा कम भार वाले संस्थानों को गैर-तकनीकी क्षेत्रों में सिंगल फेस कनेक्शन के लिए भी विचारित किया जा सकता है।

गैर-इंजीनियरिंग व्यवसाय		
1.	बेकर तथा कनफेक्शर	36.6 किलोवाट
2	टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग तकनीशियन	8.6 किलोवाट
3	केबिन/कक्ष परिचर	2 किलोवाट
4	बेंत विलो तथा बांस कर्म	3.5 किलोवाट
5	कम्प्यूटर सहायित कसीदा एवं सुईकारी	5 किलोवाट
6	कम्प्यूटर आपरेटर तथा प्रोग्रामिंग सहायक	3.45 किलोवाट
7	कार्पोरेट हाउस कीपिंग	4.2 किलोवाट
8	शिल्पकार खाद्य उत्पादन (सामान्य)	4 किलोवाट
9	शिल्पकार खाद्य उत्पादन (शाकाहारी)	4 किलोवाट

10	क्रेश प्रबंधन	2 किलोवाट
11	कटाई एवं सिलाई	4 किलोवाट
12	डेरी कार्य	3 किलोवाट
13	डेटा एंट्री आपरेटर	4 किलोवाट
14	दन्त प्रयोगशाला तकनीशियन	12 किलोवाट
15	डेस्क टॉप पब्लिशिंग आपरेटर	4.3 किलोवाट
16	डिजिटल फोटोग्राफर	6.5 किलोवाट
17	घरेलू हाउस कीपिंग	16.7 किलोवाट
18	ड्रेस निर्माण	20 किलोवाट
19	चालक-सह-मेकैनिक (हल्के मोटर वाहन)	1.2 किलोवाट
20	कसीदाकारी तथा सुईकारी	3.7 किलोवाट
21	आयोजन प्रबंधन सहायक	4 किलोवाट
22	फैशन टेक्नोलॉजी	8.2 किलोवाट
23	पुष्पकृषि एवं भूदृश्यचित्रण	2 किलोवाट
24	फ्रंट आफिस असिस्टैंट	12.8 किलोवाट
25	केश एवं त्वचा देखभाल	14 किलोवाट
26	स्वास्थ्य सफाई निरीक्षक	4 किलोवाट
27	बागबानी (उद्यानिकी)	2 किलोवाट
28	अस्पताल हाउस कीपिंग	5 किलोवाट
29	अस्पताल कचरा(अपशिष्ट) प्रबंधन	5 किलोवाट
30	इंस्टीट्यूशन हाउस कीपिंग	9.2 किलोवाट
31	बीमा एजेन्ट	2 किलोवाट
32	चर्म सामग्री निर्माता	4 किलोवाट
33	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	4 किलोवाट
34	लिथो-आफसेट मशीन माइन्डर	3 किलोवाट
35	फुटवियर विनिर्माता	4 किलोवाट
36	मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन	5.2 किलोवाट
37	नेटवर्क तकनीशियन	4 किलोवाट
38	वृद्धावस्था देखभाल	5 किलोवाट
39	फोटोग्राफर	2 किलोवाट
40	प्लेट मेकर-सह-इम्पोजीटर	7 किलोवाट
41	पूर्व/प्रारंभिक स्कूल प्रबंधन(सहायक)	4.2 किलोवाट
42	फल और सब्जी संरक्षण	3 किलोवाट
43	प्रोसेस कैमरामैन	4.7 किलोवाट
44	सचिवीय कार्य	4 किलोवाट
45	आशुलेखन (अंगरेजी)	1.8 किलोवाट
46	आशुलेखन (हिन्दी)	4.4 किलोवाट
47	स्टुअर्ड	4.4 किलोवाट
48	पर्यटक गाइड	8 किलोवाट
49	सिल्क तथा ऊनी फैक्रिक की बुनाई	4 किलोवाट
50	ऊनी फैब्रिक की बुनाई	17 किलोवाट
51	खान-पान एवं आतिथ्य सहायक	17 किलोवाट
52	यात्रा एवं दौरा सहायक (ट्रैवल एवं टूर असिस्टैंड)	19 किलोवाट
		4.5 किलोवाट
		6 किलोवाट

53 54	मल्टीमीडिया एवं विशेष इफेक्ट कार्यालय सहायक-सह-कम्प्यूटर आपेटर	6 किलोवाट

नोटः सामान्यतः 3 फेस की संस्तुति की जाएगी किंतु 5 कि.वा. अथवा कम भार वाले संस्थानों को गैर-तकनीकी क्षेत्रों में सिंगल फेस कनेक्शन के लिए भी विचारित किया जा सकता है।

डी जी ई एवं टी-19(15)2010-सीडी
भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय

दिनांकः20/22 सितम्बर,2010

सेवार्थ,

1. समस्त राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश प्रशासनों के सचिव/प्रधान सचिव जो व्यावसायिक प्रशिक्षण का कार्य देख रहे हैं।
2. व्यावसायिक प्रशिक्षण का कार्य देख रहे समस्त राज्यों/संघ शासित प्रदेश प्रशासनों के निदेशक।
3. निदेशक, एटीआई हैदराबाद, एटीआई मुंबई, एटीआई कोलकाता, एटीआई कानपुर, एटीआईलुधियाना, प्रिंसिपल सीटीआई, चेन्नई।

विषयः मद सं.3804.8: शिल्पकार प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रवेश हेतु ऊपरी आयु सीमा रोक हटाना।

महोदय,

मुझे आपको सूचना देने हेतु निदेशित किया गया है कि राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की 38 वीं बैठक 31 मई, 2010 को माननीय मंत्री, श्रम एवं रोजगार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई है। बैठक में शिल्पकार प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रवेश हेतु ऊपरी सीमा रोक हटाने पर कार्यसूची की मद सं. 3804.8 के रूप में विचार-विमर्श किया गया।

परिषद् में, विचार-विमर्श के उपरान्त, शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत पाठ्यक्रमों में प्रवेशार्थी प्रशिक्षुओं के लिए ऊपरी आयु सीमा की रोक हटाए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है।

भारत सरकार द्वारा परिषद् के उपरोक्त सुझाव कार्यान्वयन हेतु स्वीकार कर लिए गए हैं। तदनुसार, 14 वर्ष तथा अधिक आयु के उम्मीदवारों को एनसीवीटी से सम्बद्ध आईटीआई'ज/आईटीसी'ज में प्रवेश लेने की अनुमति दी जाती है।

आपका हितैषी
हस्ता/-
(आर.एल.सिंह)
निदेशक, प्रशिक्षण
सदस्य सचिव, एनसीवीटी

प्रतिलिपि सेवार्थ,

1. निदेशक सीएसटीएआरआई, कोलकाता/एटीआई (ईपीआई) हैदराबाद एवं देहरादून, एफ टी आई बेंगलुरू एवं जमशेदपुर एवं एनआईएमआई, चेन्नई

2. आरडीएटी कानपुर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, फरीदाबाद एवं हैदराबाद
3. प्रिंसिपल एमआईटीआई, हल्द्धानी, कालीकट, जोधपुर, चौद्धार, एनवीटीआई, नई दिल्ली तथा समस्त आरवीटीआई'ज
4. डीजीई एवं टी(एच क्यू) के जेडीटी स्तर तक के समस्त अधिकारी

हस्ता./-
(अनिता श्रीवास्तव)
उपनिदेशक, प्रशिक्षण

सूचनार्थ प्रतिलिपिः श्रम एवं रोजगार मंत्री के पीएस, एमओएस (एल एवं ई) के पीएस, सचिव (एल एवं ई) के पीएस, डीजी/जेएस के पीएस

डी जी ई एवं टी-19(14)/2010-सीडी
भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय

दिनांकः 30 सितम्बर, 2010.

सेवार्थ,

1. समस्त राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश प्रशासनों के सचिव/प्रधान सचिव जो व्यावसायिक प्रशिक्षण का कार्य देख रहे हैं।
2. व्यावसायिक प्रशिक्षण का कार्य देख रहे समस्त राज्यों/संघ शासित प्रदेश प्रशासनों के निदेशक।
3. निदेशक, एटीआई हैदराबाद, एटीआई मुंबई, एटीआई कोलकाता, एटीआई कानपुर, एटीआईलुधियाना, प्रिंसिपल सीटीआई, चेन्नई।
4. निदेशक सीएसटीएआरआई कोलकाता, एटीआई (ईपीआई) हैदराबाद व देहरादून, एफटीआई बेंगलुरू तथा जमशेदपुर एवं एनआईएमआई चेन्नई।

विषयः मद सं. 3804.7: उम्मीदवारों के लिए अखिल भारतीय शिल्पकार व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु अवधि 3 से बढ़ाकर 5 वर्ष करना।

महोदय,

मुझे आपको सूचना देने हेतु निदेशित किया गया है कि राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की 38 वीं बैठक 31 मई, 2010 को माननीय मंत्री, श्रम एवं रोजगार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई है। बैठक में कार्यसूची की मद सं. 3804.7 के रूप में उम्मीदवारों के लिए अखिल भारतीय शिल्पकार व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु अवधि 3 से बढ़ाकर 5 वर्ष करना पर विचार किया गया।

परिषद् ने उम्मीदवारों के लिए अखिल भारतीय शिल्पकार व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु मौजूदा अवधि तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष किए जाने हेतु सहमति प्रदान कर दी है।

भारत सरकार द्वारा परिषद् के उपरोक्त सुझाव तत्काल प्रभाव से कार्यान्वयन हेतु स्वीकार कर लिए गए हैं। अब से आगे, एक प्रशिक्षु को राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु आखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु पांच वर्ष की अवधि में पांच अवसर प्रदान किए जाएंगे।

आपका हितैषी
हस्ता/-
(आर.एल.सिंह)
निदेशक, प्रशिक्षण
सदस्य सचिव, एनसीवीटी

प्रतिलिपि सेवार्थ,

1. आरडीएटी कानपुर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, फरीदाबाद एवं हैदराबाद
2. प्रिंसिपल एमआईटीआई, हल्द्वानी, कालीकट, जोधपुर, चौद्धार, एनवीटीआई, नई दिल्ली तथा समस्त आरवीटीआई'ज
3. डीजीई एवं टी(एच क्यू) के जेडीटी स्तर तक के समस्त अधिकारी

हस्ता./-
(अनिता श्रीवास्तव)
उपनिदेशक, प्रशिक्षण

सूचनार्थ प्रतिलिपिः श्रम एवं रोजगार मंत्री के पीएस, एमओएस (एल एवं ई) के पीएस, सचिव (एल एवं ई) के पीएस, डीजी/जेएस के पीएस

डी जी ई एवं टी-19(12)/2010-सीडी
भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय

दिनांकः28 सितम्बर,2010

सेवार्थ,

1. समस्त राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश प्रशासनों के सचिव/प्रधान सचिव जो व्यावसायिक प्रशिक्षण का कार्य देख रहे हैं।
2. व्यावसायिक प्रशिक्षण का कार्य देख रहे समस्त राज्यों/संघ शासित प्रदेश प्रशासनों के निदेशक।
3. निदेशक, एटीआई हैदराबाद, एटीआई मुंबई, एटीआई कोलकाता, एटीआई कानपुर, एटीआईलुधियाना, प्रिंसिपल सीटीआई, चेन्नई।

विषयः प्रत्येक व्यवसाय हेतु दो यूनिटों के लिए दो भिन्न योग्यताधारक अनुदेशकों की नियुक्ति

महोदय,

आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर हमारे दिनांक 6 अगस्त, 2010 के सम संख्यक पत्र के पूर्व पत्र की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह सूचना दी गई थी कि एनसीवीटी से संबंधन प्राप्त करने के इच्छुक संस्थानों (आईटीआई'ज/आईटीसी'ज) को एक समय पर व्यवसाय की दो यूनिटों (अथवा दो यूनिटों के गुणजों) न्यूनतम हेतु आवेदन करना तथा प्रत्येक यूनिट के लिए, मानदण्डों के अनुसार, दो अनुदेशकों की नियुक्ति करना अनिवार्य है। इन दो अनुदेशकों में से एक अनुदेशक किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की संबंधित शाखा में डिग्री/डिप्लोमा धारक और एनसीवीटी द्वारा निर्धारित अनुभवधारक होना अनिवार्य है।

हमारी जानकारी में लाया गया है कि उपरोक्त अनुदेश उस व्यवसाय में अनुदेशकों की नियुक्ति हेतु स्पष्ट नहीं है जिसमें आईटीआई'ज/आईटीसी'ज में एक यूनिट पहले से चल रही है और वे उसी व्यवसाय हेतु दूसरी यूनिट के लिए आवेदन करते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित सूचना दी जाती हैः

i. यदि संस्थान के सम्बद्ध व्यवसाय यूनिटों की संख्या विषम है, यह इसको सम बनाने के लिए केवल एक यूनिट के लिए आवेदन कर सकता है। अनुवर्ती समय में संस्थान संबंधन के लिए सम यूनिटों के लिए आवेदन करेगा।
ii. अनुदेशकों की योग्यता ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक दो यूनिटों हेतु एक अनुदेशक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की संबंधित शाखा में डिग्री/डिप्लोमाधारक और एन सी वीटी द्वारा निर्धारित अनुभवधारक होना चाहिए।

आपका हितैषी
हस्ता/-
(आर.एल.सिंह)
निदेशक, प्रशिक्षण

सदस्य सचिव, एनसीवीटी

प्रतिलिपि सेवार्थ,

1. निदेशक सीएसटीए आरआई, कोलकाता/एटीआई (ईपीआई) हैदराबाद एवं देहरादून, एफ टी आई बैंगलुरु एवं जमशेदपुर एवं एनआईएमआई चेन्नई
2. आरडीएटी कानपुर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, फरीदाबाद एवं हैदराबाद
3. प्रिंसिपल एमआईटीआई, हल्द्वानी, कालीकट, जोधपुर, चौद्धार, एनवीटीआई, नई दिल्ली तथा समस्त आरवीटीआई'ज
4. डीजीई एवं टी(एच क्यू) के जेडीटी स्तर तक के समस्त अधिकारी

हस्ता./-
(अनिता श्रीवास्तव)
उपनिदेशक, प्रशिक्षण